भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

संख्या 620 /ई0–टेण्डरिंग–01/विविध/भू0खनि0ई0/2017–18, दिनांक 17 नवम्बर, 2017

ऑनलाईन पंजीकरण की कार्यवाही हेतु विज्ञप्ति

1. राज्य क्षेत्रान्तर्गत चिन्हित उप खनिज (सोपस्टोन को छोडकर) लॉटों को निजी व्यक्तियों/निजी व्यक्तियों की कॉपरंटिव समिति /फर्म/कम्पनी को परिहार पर स्वीकृत करने की प्रक्रिया ऑनलाईन सम्पन्न की जायेगी। खनिज लॉटों का आवंटन ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से सम्पन्न किया जायेगा।

2. आवेदक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय की बैवसाईट www-dgm.uk.gov.in में जाकर अपने ऑनलाईन पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त ही ई–निविदा सह ई–नीलामी की प्रक्रिया में भाग ले सकेगें।

3. पंजीकरण हेतु नीजि व्यक्ति/निजी व्यक्तियेां की समिति/फर्म/कम्पनी को विभागीय पोर्टल में जाकर ऑनलाईन पंजीकरण प्रपत्र भरकर आवश्यक वांछित अभिलेख स्कैन कर यथास्थान अपलोड करना होगा व पंजीकरण शुल्क रू0 5000/–(पॉच हजार)+ जी0एस0टी0 + आयकर, आगणित कर संबंधित विभागों के लेखाशीर्षक में जमा कराकर चलान/रसीद की स्कैन प्रति अपलोड की जानी होगी तदोपरान्त पंजीकरण प्रपत्र सबमिट करना होगा। ऑनलाईन प्रपत्र सबमिट होने के उपरान्त आवेदक को यूनिक नम्नबर स्वतः आवंटित हो जायेगा। निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पंजीकरण प्रपत्रों की जॉच करने के उपरान्त ऑन लाईन स्वीकृति प्रदान करते ही आवेदक को विभागीय बेवसाईट पर लॉगइन करने हेतु स्वतः जनित यूजर आई0डी0 तथा पासवर्ड एस0एम0एस0 के माध्यम से जारी कर दिया जायेगा।

4. पंजीकरण हेतु आवश्यक अभिलेख पंजीकरण हेतु आवेदक द्वारा स्वतः प्रमाणित निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र स्कैन कर भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड के पोर्टल www-dgm.uk.gov.in पर यथास्थान अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(एक) आवेदक का आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की प्रति फर्म की दशा में फर्म के भागीदारो के आधारकार्ड/मतदाता पहचान पत्र की प्रति तथा कम्पनी के मामलों में कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रबन्धक निदेशक का Director Indentification Noumber (DIN) के प्रमाण पत्र की प्रति तथा कापरेटिव सोसायटी के सम्बन्ध में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव का मतदाता पहचान पत्र।

(दो) स्थायी निवासी प्रमाण पत्र।

(तीन) आवेदक का अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र समिति व फर्म के मामलें में भागीदारों के इस आशय का शपथ पत्र की समिति या कम्पनी को किसी आपराधिक वाद में दण्डित नही किया गया है।

चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा। जहाँ आवेदक स्थायी रूप से निवास करता हो।

(चार) आवेदक के पैन कार्ड की प्रति।

(पॉच) आवेदक के जी0एस0टी0 नम्बर की प्रति।

(छः) आवेदक का बैंक खाते का विवरण जिससे ई–निविदा सह ई–नीलामी से सम्बन्धित समस्त वित्तीय हस्ताक्षरण किया जायेगा। यथा बैंक व शाखा का नाम, खाता संख्या, आई0एफ0एस0सी0 कोड तथा एक निरस्त चैक की प्रति।

(सात) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन अदेयता प्रमाण पत्र जहाँ आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नहीं करता हो, वहाँ इस आशय की शपथ पत्र की प्रति।

(आठ) कोपरेटिव सोसायटी के सम्बन्ध में कॉपी ऑफ रेज्यूलेशन के समस्त पृष्ठों की स्वप्रमाणित प्रति भागीदारी फर्म के सम्बन्ध में भागीदारी विलेख एवं फर्म के पंजीकरण कम्पनी के मामलों में आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन की प्रति ।

(नो) किसी भी राज्य में खनन संक्रियाओं की काली सूची में न होने सम्बन्धी शपथ पत्र।

5. पंजीकृत बोलीदाता को विभाग के पोर्टल पर अपना पंजीकरण अपडेट रखने की जिम्मेदारी होगी। इस हेतु पंजीकृत बोलीदाता को चरित्र प्रमाण पत्र एवं खनन अदेयता प्रमाण पत्र आदि सदैव अद्यतन रखने आवश्यक होगें अन्यथा की स्थिति में पंजीकृत बोलीदाता का पंजीकरण स्वतः निलम्बित हो जायेगा तथा ऐसा निलम्बित पंजीकृत बोलीदात ई–निविदा सह ई–नीलामी की प्रक्रिया से बाहर हो जायेगा। अतः पंजीकृत बोलीदाता को अपना पंजीकरण समय–समय पर नवीनीकरण कराना आवश्यक होगा।

6. नदी तल के क्षेत्र हेतु राज्य में रिक्त साधारण बालू, बजरी, बोल्डर के खनन/चुगान लॉटों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :–

(एक) पर्वतीय क्षेत्र : पर्वतीय क्षेत्र के अन्तर्गत जिला उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर पिथौरागढ़, जिला टिहरी गढ़वाल (तहसील नरेन्द्रनगर व तहसील धनोल्टी का मैदानी भाग छोड़कर), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग छोड़कर), अल्मोड़ा (सम्पूर्ण भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग छोड़कर) जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र छोड़कर), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी क्षेत्र छोड़कर) सम्मिलित हैं।

(दो) मैदानी क्षेत्र : मैदानी क्षेत्र के अन्तर्गत जिला टिहरी गढ़वाल (तहसील नरेन्द्रनगर व धनोल्टी का मैदानी भाग), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग), जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र), जिला देहरादून (तहसील

ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग), जिला हरिद्वार एवं जिला ऊधमसिंहनगर के सम्पूर्ण भाग सम्मिलित हैं।

7. राज्य के नदी तल में साधारण बालू, बजरी, बोल्डर क्षेत्र युक्त रिक्त उपखनिज क्षेत्रों की ई–निविदा सह ई–नीलामी की प्रकिया में 5.00 है0 तक क्षेत्रफल के खनन लाट जनपद के स्थायी निवासी या स्थायी निवासियों की समिति जो कोआपरेटिव सोसाईटी एक्ट में पंजीकृत हो, 5.00 है0 से 50.00 है0 तक क्षेत्रफल के खनन लाट राज्य के स्थायी निवासी/स्थायी निवासियों की समिति जो कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट/कम्पनीय एक्ट अथवा पार्टनरशिप एक्त एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत हो तथा 50.00 है0 से अधिक क्षेत्रफल के खनन लाट भारतीय नागरिकों/कम्पनियों/फर्मों/सोसाइटी आदि को आवंटित किये जायेगें।

वर्गीकृत वर्गो में वांछित न्यूनतम वर्णित अर्ह बोलीदाता उपलब्ध न होने की दशा में संबंधित उपखनिज क्षेत्र अगले उच्च वर्ग के बोली दाता हेतु 07 दिन की अल्पावधि की विज्ञप्ति के उपरान्त पुनः प्रथम चरण की ई–निविदा प्रकिया के उपलब्ध होगा। अगले उच्च वर्ग के अर्ह बोलीदाता द्वारा प्रतिभाग किये जाने ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रकिया पुनः सम्पन्न की जायेगी।

8. पंजीकृत आवेदकों के लिये ऑनलाईन बिड/बोली हेतु डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट **(DSC)** होना आवश्यक है।

9. ऑनलाईन पंजीकरण की कार्यवाही में किसी प्रकार की कठिनाई के निवारण हेतु श्री एस0एल0पैट्रिक , अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म से उनके कार्यालय या दूरभाष (8192802321) अथवा ई–मेल adrgmu@gmail.com के माध्यम से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता हैं ।

निदेशक 12/11/17

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

संख्या 622 /ई0–टेण्डरिंग–01/विविध/भू0खनि0ई0/2017–18, दिनांक 17 नवम्बर, 2017

प्रेस विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड राज्य क्षेत्रान्तर्गत चिन्हित उपखनिज लॉटों को ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत करने की प्रक्रिया में प्रतिभाग किये जाने से पूर्व भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय की बैवसाईट www-dgm.uk.gov.in में जाकर अपने ऑनलाईन पंजीकरण की कार्यवाही किये जाने हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकती है। केवल विभाग में वैध पंजीकृत निजी व्यक्ति/निजी व्यक्तियों की कॉपरेटिव समिति/फर्म/कम्पनी ही भविष्य में होने वाली ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकेगें।

17/11/17

निदेशक